FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर........ मुकाम ....डीग........

........रामाराम........ बनाम ....ग्रा०पं० डीग........

किस्म मुकदमा........75 .... नं. ....15/2020........ सन्........

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.20	~~प्रार्थी/वादी~~/अपीलांट के वकील श्री ....नरपत सिंह........ ने यह ~~प्रार्थना~~ पत्र/~~वाद~~/अपील धारा ....75........ ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /~~प्रतिवादी~~/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....23.12.2020........ को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) डीग	
23/12/2020	अपीलान्ट के वकील उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट गण संख्या-1 व 15 को नोटिस तामील शुदा प्राप्त किये शामिल पत्रावली किया गया रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 बावजूद तामील गैरहाजिर है। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 से 14 के विरुद्ध कोई ईमदाद नहीं चाही गई है। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 से 14 को तर्क किया गया। तथा हल्का पटवारी आज उपस्थित जिनको सुना गया। व उनके हस्ताक्षर करवाये गये। बहस वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05/01/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) डीग	[signature] 23-12-2020 पटवारी हल्का उत्तरदाता सं० 2 से 15 को तर्क किया गया है [signature] (नरपत सिंह)

05/01/2021 अपीलान्ट के वकील उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता की एडमिशन बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन अपीलान्ट की अपील ~~स्वीकार~~ अस्थाई रूप से स्वीकार की जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.)

अपील सख्या – 14/2020

अपीलांट **बनाम** **उतरदातागण**

1. रामाराम पुत्र नीम्बाराम जाति जाट निवासी मायलों की ढाणी, झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. सरपंच ग्राम पंचायत झाक
2. देवेन्द पुत्र नीम्बाराम
3. बाबूलाल पुत्र नीम्बाराम
4. राउराम पुत्र नीम्बाराम
5. नीम्बाराम पुत्र सोनाराम
6. खेताराम पुत्र लिखमाराम
7. जोराराम पुत्र वालाराम
8. राणाराम पुत्र वालाराम
9. सुरताराम पुत्र वालाराम
10. सिदाराम पुत्र वालाराम
11. तुलसी पुत्री कानाराम
12. तारोदेवी पुत्री कानाराम
13. सुरताराम पुत्र कानाराम
14. वीरोदेवी पत्नी कानाराम
15. हरजीराम पुत्र सोनाराम जातियान् जाट निवासी मायलों की ढाणी, झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर
16. तहसीलदार बायतु

दिनांक :– 05.01.21

उपस्थित :– 1. श्री नरपत पूनड़ वकील अपीलांट

–: आदेश :–

अपीलांट द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–167/20.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट एवं उत्तरदाता संख्या 2 से 15 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा मायलों की ढाणी पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 671, 675, 677, 699, 702, 704, 705 रकबा क्रमशः 0.5825, 14.3031, 19.5374, 1.3834, 5.3232, 0.0728, 15.9373 हैक्टेयर में आई हुई हैं। अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 2 से 4 के

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

बाराम पुत्र लिखमाराम के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में निम्बाराम पुत्र मारामा के स्थान पर अन्य सहखातेदार निम्बाराम पुत्र सोनाराम को फौत बताकर अपीलांट व उत्तदातागण संख्या 2 से 4 अंकित किये गये। निम्बाराम पुत्र लिखमाराम का नाम आज भी राजस्व रैकर्ड में अंकित है तथा जीवित सहखातेदार निम्बाराम पुत्र सोनाराम का नाम रैकर्ड से हटा दिया गया। अतः उक्त कार्रवाही से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 2 से 4 के पिता निम्बाराम पुत्र लिखमाराम का नाम हटाकर उनके स्थान पर अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 2 से 4 का नाम व जीवित निम्बाराम पुत्र सोनाराम का नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलांटगण द्वारा देरी के लिये धारा–5 म्याद भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। 'अपीलांट ने देरी के लिये धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सदभावी भूल मानते हुए एवं इस अपील में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को सम्मन जारी किये गये है। अपीलांट वकील द्वारा उत्तरदातागण संख्या 2 से 14 को तर्क किया गया।

अपील के समर्थन में अपीलांट द्वारा निम्बाराम पुत्र लिखमाराम की मृत्यू प्रमाण–पत्र की प्रति पेश की गई। नामान्तरकरण संख्या–167/20.09.2020, निम्बाराम पुत्र लिखमाराम के मृत्यू प्रमाण–पत्र व वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 2 से 4 के पिता निम्बाराम पुत्र लिखमाराम के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में निम्बाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर अन्य सहखातेदार निम्बाराम पुत्र सोनाराम को फौत बताकर अपीलांट व उत्तदातागण संख्या 2 से 4 अंकित किये गये। निम्बाराम पुत्र लिखमाराम का नाम आज भी राजस्व रैकर्ड में अंकित है तथा जीवित सहखातेदार निम्बाराम पुत्र सोनाराम का नाम रैकर्ड से हटा दिया गया। अतः अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 2 से 4 के पिता निम्बाराम पुत्र लिखमाराम का नाम हटाकर उनके स्थान पर अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 2 से 4 का नाम व जीवित निम्बाराम पुत्र सोनाराम का नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में लांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुऐ अपीलांट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 167/20.09.2020 को खारिज किया जाकर तहसीलदार बायतु को प्रतिप्रेषित कर मौजा मायलों की ढाणी पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 671, 675, 677, 699, 702, 704, 705 रकबा क्रमशः 0.5825, 14.3031, 19.5374, 1.3834, 5.3232, 0.0728, 15.9373 हैक्टेयर भूमि में अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 2 से 4 के पिता निम्बाराम पुत्र लिखमाराम का नाम हटाकर उनके स्थान पर अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 2 से 4 का नाम व जीवित निम्बाराम पुत्र सोनाराम का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बायतु उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखंण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 05.01.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(SDO) बायतु